कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 84/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादिनी श्रीमती मंशा देवी पत्नी राजेन्द्र राम निवासी ग्राम कोटा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 04.03.2026 को थाना पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 03.03.2026 को समय लगभग 12:00 बजे अभियुक्तगण सौरभ कुमार एवं अंकित कुमार द्वारा घर में घुसकर गाली-गलौज की गई तथा वादिनी के देवर मोतीलाल को चैन लगे डण्डे से जान से मारने की नियत से मारपीट कर घायल कर दिया गया। बीच-बचाव करने आए अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

दिनांक 04.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण को तरवां बाजार से समय 14:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. **सौरभ कुमार** पुत्र प्यारेलाल, निवासी ग्राम कोटा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. **अंकित कुमार** पुत्र रामाश्रय राम, निवासी ग्राम कोटा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0– 40/2026 धारा– 109/115(2)/352/333/351(3) बीएनएस थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- घटना में प्रयुक्त एक अदद चैन लगा डण्डा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 शिवम द्विवेदी
2. उ0नि0 रमेश सिंह
3. उ0नि0 गुलाबधर पाण्डेय
4. हे0का0 सन्दीप कुमार यादव
5. का0 अंकित सिंह थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।